### बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग अधिसूचना

संख्या—5 न0वि0/वि0—21/16 4993 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा—3 सह पठित धारा—4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नगर पंचायत के सृजन के लिए निम्नलिखित आदेश का प्रारूप निर्गत करना चाहते हैं, जिसे उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी एवं आपत्ति / सुझाव यदि कोई दाखिल करने हेतु इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के बाद उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम की धारा—5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा नालंदा जिलान्तर्गत हरनौत के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करने तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करने के लिए एक नया नगर पंचायत, हरनौत के सुजन की घोषणा करते है:--

#### ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

(ক)	ग्राम का नाम	थाना सं0
	1. सबनहुआ	213
	2. रूपसपुर	215
	3. पोरई	· 214
	4. चेरन	218
	5. बस्ती	220
	6. श्रीचन्दपुर	, 219
	7. डिहरी	208
(ख)	<u>चौहद्दी</u>	ग्राम का नाम
उत्तर		चेरो
	दक्षिण	मुढ़ारी
	पूरब	मुढ़ारी दैही
	पश्चिम	सेवदह

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, हरनौत कहा जायेगा। यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग संख्या-५ न०वि०/वि०-21/16 4293 /न०वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक- 🕽

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास/क्रिभाग को उपलब्ध

प्रधानं सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या—5 न0वि० / वि०—21 / 16 4 9 9 / न0वि० एवं आ०वि० प्रतिलिपिः—सभी विभाग / सभी विभागध्याक्ष / /पटना, दिनांक-1/7े विभागध्याक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त, / जिला नालंदा / महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, नालंदा / माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्श्न एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग /पटना, दिनांक—) / 🕌 / 🧸

प्रेषित ।

नगर विकास एवं आवास विभाग

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

## अधिसूचना

संख्या—5 न0वि0/वि0—21/16 अधिसूचना संख्या— 4993 दिनांक—117/11/का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद) प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग

# Government of Bihar Urban Development and Housing Department Notification

No-5 नि0िव0/वि0-21/16 4999 In exercise of the powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order for creation of Nagar Panchayat, Harnaut which is hereby published for the information and to file objection/suggestion, if any, of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be considered after a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

#### **Draft Order**

No-5 नि0िव0/वि0-21/16 / In Exercise of powers conferred by sub section (1) (c) of Secion-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar is hereby pleased declare for creation of a new Nagar Panchayat, Harnaut for making an administrative provisions and to enforce the provisions of the said Act in the areas falling in the circle of the following villages of under Harnaut in the District of Nalanda whose boundary are noted below:-

Name of villages and Thana Nos

(a)	Name of Village	Thana No.
	1. Sabnahua	213
	2. Rupuspur	215
	3. Poria	214
	4. Cheran	218
	5. Basti	220
	<ol><li>6. Srichandpur</li></ol>	219
	7. Dihri	208
(b)	Boundary:-	Name of Village
	North-	Chero
	South-	Mudhari
	East-	Daile
	West-	Sevdah
	This area will be call	ed Nagar Panchayat, Harnaut

	2. This notification shal	I come to force	e at once.		
			By the orde	er of the Governo	r of Bihar
				itanya Prasad)	12016
	Memo No-5 न0विo/वि0-21/16 U Copy to the Superintender	294	Urban Developmen UD&HD	t and Housing De	1. 1711
	publication in an extra ordinary issue 2. He is requested to make available.	e of the Bihar	Gazette.		
	Housing Department.	naore 200 co <sub>l</sub>	oles of the Gazette t		
				Chaitanya Prasad) incipal Secretary	7/2016
	.Memo No-5 न0विo / विo-21 / 16 Y Copy to All Departments/De	297 Epartmental H	Urban Development UD&HD Jeads/all Divisional	Dated:- //	116
	Officer Nalanda/ Private Secretary honorable Minister Urban Develor	iar, Patna/ Au to the honora pment and F	ditor of Local Accou able Chief Minister Jousing Departmen	onts Bihar, Patna/ / Private Secreta // Private Secreta	Treasury ry to the
	Principal Secretary Urban Developm action.	ent and Hous	ing Department for	information and r	necessary
		 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(CI	naitanya Prasad)	/2011
	: -		Pri Urban Development	ncipal Secretary"	
	Memo No-5 ন০বি০/বি০–21/16 প্র Copy to Secretary, State Elect	294	Пр%нр	Datad	112/1/
	and necessary action.	•	,		
		•	(Ch		pois
			Prii Jrban Development هرج	ncipal Secretary and Housing Dep	artment
			,		
.'	•				
•				*	
		~			